

मण्डल रेल प्रबंधक- अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

मुख्यालय संरक्षा सर्कुलर 09/2024

8.15. ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध के लिए प्राधिकार:- ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध की अनुमति देते समय, लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित प्राधिकार दिया जाएगा और यह प्राधिकार निम्नलिखित किसी भी रूप में हो सकता है, अर्थात:-

(क) अन्तिम रोक (स्टॉप) सिगनल वाले खम्भे पर ही, उससे नीचे निर्धारित आकार तथा डिजाइन की एक शंटिंग भुजा, अथवा

(ख) निर्धारित डिजाइन का टोकन अथवा

(ग) शंटिंग करने की लिखित अनुमति

स.नि.8.15(1):- ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की अनुमति देते समय ब्लॉक बैक और ब्लॉक फारवर्ड के साथ-साथ जैसा कि ब्लॉक संचालन नियमावली में दिया गया है। यह प्राधिकार दिया जायेगा जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है। यह प्राधिकार इस प्रकार होगा:-

(i) दोहरी और इकहरी दोनों लाइनों पर:- जब लोको पायलट को दोहरी लाइन और इकहरी लाइन दोनों पर अन्तिम रोक सिगनल को पार करना हो तो सामान्य नियम 8.15 के खण्ड (क) के अनुसार लगाये गए शंट सिगनल को 'ऑफ' करके और शंटिंग आदेश फार्म टी-806 पर विशिष्ट लिखित प्राधिकार देकर।

(ii) इकहरी लाइन पर:- जहाँ नील्स बॉल टोकन या टेबलेट यंत्र लगे हों वहाँ लोको पायलट को सम्बद्ध टोकन या टेबलेट या टोकन रहित ब्लाक क्षेत्र में शंटिंग अधिकार चाबी सौंप कर और शंटिंग आदेश (टी-806) पर एक विशिष्ट लिखित प्राधिकार देकर।

(iii) दोहरी लाइन पर:- जहाँ डैडो के ब्लाक यंत्र प्रयोग में लाये जाते हैं वहाँ लोको पायलट को अधिकार चाबी (आक्यूपेशन की) सौंप कर और फार्म टी-806 पर शंट करने का विशिष्ट लिखित प्राधिकार जारी करके। अन्य यंत्रों के मामलों में टी-806 पर विशेष अनुदेश जारी किये जाने चाहिए।

(iv) शंटिंग की अनुमति देते समय निम्नलिखित मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए फार्म टी-806 गाड़ी के ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को अवश्य जारी किया जाये और दोनों की पावती प्राप्त की जाये:-

(क) शंटिंग की सीमाएं।

(ख) किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा।

(ग) परिचालित लाइन तथा अन्य लाइन तथा अन्य लाइनें जिन पर संचलन किया जाना है।

(घ) अनुमानित समय, जब तक शंटिंग कार्य पूरा किया जाना है।

(v) जब किसी गाड़ी के शंटिंग की अनुमति दी जाये तो इस आशय की उपयुक्त प्रविष्टियां गाड़ी सिगनल रजिस्टर और सहायक स्टेशन मास्टर तथा सिचमैन की लॉग बुक और कैबिन मैन लॉग बुक में की जानी चाहिए।

स.नि.8.15(2) स्टेशन मास्टर टोकन/टैबलेट/शंटिंग अधिकार चाबियों और/या लिखित प्राधिकार पर निर्दिष्ट दिशा से आने वाली गाड़ी के लिए लाइन बलीयर देने से पहले उक्त प्राधिकारों को वापस ले लेगा।

स.नि.8.15(3) जब सामान्य नियम 8.15 के अनुसार ब्लॉक सेक्शन पर शंटिंग की अनुमति दी जाती है तो ऐसे संचलनों को शासित करने के लिए स्टेशन संचालन नियमों में उपयुक्त अनुदेश शामिल किए जायेंगे।


उप मुख्य संरक्षा अधिकारी(याता.) 06/09/24

प्रति:-

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी :-अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र.मु.वि.इंजी., प्र.मु.परि.प्रब., प्र.मु.या.इंजी., प्र.मु.इंजी, मु.सि.व दूर सं.इंजी, प्राचार्य क्षेत्र.प.सं.- को सूचनार्थ।

अपर महाप्रबंधक के सचिव- अपर महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

महाप्रबंधक के सचिव- महाप्रबंधक उ.प.रे. के सूचनार्थ।

